न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेष शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 148/2018 जीसीएमएस नं. 2018/00166

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. हकीम खां पुत्र चांदखा मोसला मुसलमान निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही 2. नूर मोहम्मद पुत्र अषरफ खां मोसला मुसलमान निवासी जावाल तहसील सिरोही जिला सिरोही		1. ग्राम पंचायत जावाल जरिये सरपंच ग्रम पंचायत जावाल तहसील सिरोही जिला सिरोही 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही 3. उपखंड अधिकारी, सिरोही

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेष दिनांक 09.05.2018 जो उपखण्ड अधिकारी, सिरोही, के द्वारा राजस्व अपील संख्या 156/2017 हकीमखॉ बनाम स्टेट में पारित पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री राजेष शाह, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पो0 संख्या 01 बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं. 2 व 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक अप्रैल, 2021

1. अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 156/2017 हकीमखॉ बनाम स्टेट में दिनांक 09.05.2018 को पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 14.08.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड एवं रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया। रेस्पोडेन्टस की तामीली पूर्ण करवाई गई तथा मूल अभिलेख प्राप्त किया। रेस्पो0 संख्या एक बावजूद तामीली/सूचना के दौरान

सुनवाई अनुपस्थित रहे। तत्पष्चात अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही ने अपीलान्ट के द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के समाज की ओर से प्रस्तुत करते हुए यह निवेदन किया गया कि वे ग्राम जावाल में स्थित कब्रिस्तान जो कि वक्त सम्पति है एवं वफट एक्ट, 1954 की धारा 26 में राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर के रजिस्ट्रेषन रजिस्टर में पंजिकृत है एवं सिरोही जिले के कब्रिस्तान की सूची के क्रमांक 17 पर गजट नोटिफिकेषन अनुसार दिनांक 23.09.1965 पर अंकित है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि पूर्व में बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज रहने से उक्त कब्रिस्तान पर प्रार्थीगण के समाज का अतिक्रमण मानते हुए खसरा परिवर्तनषील में पटवारी हल्का द्वारा कब्रिस्तान का उल्लेख करते हुए जुर्माना भी वसूल करते रहे परन्तु बेदखली की कार्यवाही कभी नहीं की। उक्त कब्रिस्तान की भूमि के पुराने खसरा नम्बर 257, 258 व 259 थे एवं इन्हीं खसरा नम्बरों में प्रार्थीगण का कब्रिस्तान खसरा परिवर्तनषील में दर्षाया गया है। वर्तमान में नये खसरा संख्या 288, 290 व 292 बने है। इस प्रकार की राजस्व अभिलेख में दर्ज करने से रही भूमियों का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हु प्रमुख शासन सचि, अल्पसंख्यक मामलात, जयपुर के आदेष दिनांक 24.1.2011 में भी निर्देषित किया हुआ है कि वक्त सम्पतियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज शीघ्र किया जावें। इस सम्बन्ध में तहसीलदार कार्यालय सिरोही द्वारा इस प्रकार के इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु कार्यवाही जारी की परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये जाने से पालना नहीं हो पाई।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनकी ओर से उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान भूमि दर्ज करवाने हेतु तथा अमल दरामद के उपरान्त कब्रिस्तान के रखरखाव हेतु किराये से खर्चा अर्जित करने का निवेदन किया परन्तु ग्राम पंचायत व अन्य अधिकारीयों प्रार्थीगण की न्यायसंगत मांग अनुसार पालना नहीं करने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 आरएलआर एक्ट

के तहत आवेदन प्रस्तुत किया तथा राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजात दुरूस्त करने का निवदेन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ''सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरांत यह पाया कि मौके पर कब्रिस्तान खसरा संख्या 292 रकबा 0.047 हेक्टर, खसरा संख्या 288 रकबा 0.27 हेक्टर एवं खसरा संख्या 290 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 0.77 हेक्टेयर भूमि पर विधमान है चूंकि उक्त कब्रिस्तान आबादी भूमि में है, अधोहस्ताक्षरकर्ता के इस न्यायालय को आबादी भूमि से संबंधित प्रकरणो को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाता है।''

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थीगण सुन्नी मुसलमान है एवं वर्तमान में सुन्न्नी मुसलमान समाज ही ग्राम जावाल के स्थित उक्त कब्रिस्तान की व्यवस्था करते है एवं उसकी रक्षा व सुरक्षा करते है। ग्रम जावाल का उक्त कब्रिस्तान वक्फ संपती है एवं वक्फ एक्ट 1984 की धारा 26 में रजिस्टेषन रजिस्टर राजस्थान मे पंजीकृत है। एवं सिरोही जिले के कब्रिस्तान की सूची में क्रमांक 17 पर गजट नोटिफीकेषन दिनांक 23. 09.1965 पर अंकित है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने जावाल स्थित कब्रिस्तान वक्फ रजिस्टर में 5 बीघा 17 बिस्वा दर्ज भूमि जो कि वर्तमान में मौके पर यह कब्रिस्तान 0.77 हेक्टर भूमि पर स्थित है और 5 बीघा भूमि के लगभग ही है। उक्त कब्रिस्तान खसरा संख्या 292 की 0.47 हेक्टर खसरा संख्या 288 की 0.27 हेक्टर व खसरा संख्या 290 की 0.03 हेक्टर कुल 0.77 हेक्टर भूमि पर निम्न चतुर्दषी में स्थित है, की स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया। उक्त कब्रिस्तान के उत्तर में खसरा संख्या 288 की शेष आबादी की भूमि, दक्षिण में गांव में जाने वाली सडक पूर्व में जावाल कालन्द्री सडक तथा पष्चिम में खातेदारी की कृषि भूमि आई है।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की इस बात पर भी कोई गौर नही किया कि प्रार्थीगण की उक्त कब्रिस्तान की भूमि को वर्तमान जमाबन्दी में खसरा संख्या 292 गैर मुमकीन आबादी खसरा संख्या 288 गैरमुमकीन आबादी है। एवं ग्राम पंचायत जावाल के खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 290 की भूमि राजसव नक्षे अुनसार रास्ता भूमि है। अधिनस्थ न्यायाल ने रेकर्ड

की जांच किये बगैर ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार सिरोही के कथनों को सही मानकर तथा निर्णय पारित करते समय रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कार्यालय के प्रलेखो की न तो जांच की है और ना ही निर्णय में उनका कोई उल्लेख किया है। अतः उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों व परिस्थतियों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थीगण के धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पर पारित आदेष दिनांक 9.5.2018 को अपास्त किया जावे साथ ही उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा संख्या 288 रकबा 0.27 हेक्टर खसरा संख्या 290 रकबा 0.03 हेक्टर जिसकी चतुर्दषी आवेदन पद संख्या 3 में अंकित है, को राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन आबादी भूमि किस्म कब्रिस्तान के नाम अंकित करवाया जाना उचित एवं आवष्यक होने से अंकित करावाया जावे।।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 2 व 3 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधि अनुकूल होने से यथावत बहाल रखा जावें क्योंकि ग्राम जावाल की खसरा नं 290 की 0.03 हेक्टर, ख0सं0 288 की 0.27 हैक्टर, ख0सं0 292 की 0.47 हैक्टर इस प्रकार कुल 0.77 हेक्टेयर भूमि पर कब्रिस्तान विधमान है, इस प्रार्थना पत्र में दर्षाई गई भूमि की चतुर्दषी होना बताया है। वर्तमान में मौके पर खसरा नं 292 एवं खसरा संख्या 288 में आबादी भूमि ग्रम पंचायत जावाल की खातेदारी भूमि है। तथा खसरा नं. 290 रास्ते की भूमि है। मौके पर 0.77 हेक्टेयर भूमि पर कब्रिस्तान है इस कारण कब्रिस्तान आबादी भूमि में होने से विचाारण यह प्रकरण राजस्व से संबंधित नही होने से तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत उक्त कथनों के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट को खारिज किया गया है जो उचित होने से बहाल रखा जावें।

8. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा अपील मीमों, अधिनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड इत्यादि का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथा विचाराधीन अपील में दर्षाई गई ग्राम जावाल की उल्लेखित खसरा भूमि यानि खसरा संख्या 292 की 0.47 हेक्टर खसरा संख्या 288 की 0.27 हेक्टर व खसरा संख्या 290 की 0.03 हेक्टर कुल 0.77 हेक्टर भूमि पर निम्न चतुर्दषी में स्थित है, पर

वर्तमान में मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान स्थित होना तथा उक्त कब्रिस्तान भूमि को वक्फ संपती होने एवं बोर्ड ऑफ वक्फ राजस्थान के रजिस्टेषन रजिस्टर राजस्थान मे वक्फ एक्ट, 1984 की धारा 26 में पंजीकृत होने एवं सिरोही जिले के कब्रिस्तान की सूची में क्रमांक 17 पर गजट नोटिफीकेषन दिनांक 23.09.1965 पर अंकित होने के आधार पर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में कब्रिस्तान भूमि दर्ज करवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पेष किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के उक्त आवेदन को यह अंकित करते हुए कि ''प्रकरण की संपूर्ण पत्रावली मय प्रार्थना पत्र जवाब व राजस्व रेकर्ड जमाबंदी प्रतियों का भी गहनता से अवलोकन कर उस पर गहनतापूर्वक मनन किया एवं संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरांत यह पाया कि ग्राम जावाल में मौके पर कब्रिस्तान जो कि खसरा संख्या 292 रकबा 0.047 हेक्टर, खसरा संख्या 288 रकबा 0.27 हेक्टर एवं खसरा संख्या 290 रकबा 0.03 हेक्टर कुल 0.77 हेक्टेयर भूमि पर विधमान है चूंकि कब्रिस्तान वर्तमान में आबादी भूमि में है। तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के इस न्यायालय को आबादी भूमि से संबंधित प्रकरणो को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से उक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट का न्यायहित में स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।''

9. इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से है कि––

136. 90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

10- धारा 136 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि भू अभिलेख अधिकारी राजस्व रेकर्ड को अपडेट/संधारित करेंगे एवं समय–समय पर धारा 136 के परिप्रेक्ष्य में उसी भावना के अनुरूप दुरूस्त करेगें। धारा 136 में यह अंकित नहीं है कि किसी भू अभिलेख अधिकारी

को राजस्व रेकर्ड में दर्ज आबादी भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं है या राजस्व रेकर्ड को दुरूस्ती अथवा संषोधन का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मात्र तहसीलदार, सिरोही से प्राप्त जवाब के आधार पर ही स्वविवेक अपनाये बिना तथा विधि पर उक्त जबाव का परीक्षण किये बिना ही अपीलाधीन आदेष पारित किया गया है जिससे यह न्यायालय सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 19.12.1992 एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 24.01.2011 के संदर्भ में वक्फ सम्पतियों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करने बाबत निर्देष जारी किये हुए है। ऐसे में न्यायालय हाजा के विनम्र मत में अपील प्रकरण में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाकर प्रकरण सहायक कलेक्टर (भू अभिलेख अधिकारी), सिरोही को धारा 136 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप यथोचित कार्यवाही करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सिरोही), सिरोही के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, सिरोही), सिरोही को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेषनों को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त प्रकरण में राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में दिये गये प्रावधानों एवं राज्य सरकार के परिपत्रों के संदर्भ में पुनः यथोचित आदेष पारित करें। निर्णय आज दिनांक 04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राजेष शर्मा)
डिवीजनल कमिष्नर,
जोधपुर